पत्र संख्या–बजट–38–193–अनाच्छादित–व्या०दु०बी०यो0(2025–26)/ 864 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,
(बजट अनुभाग)
लखनऊः: दिनांक :: 30 मार्च, 2026

अपर आयुक्त,ग्रेड–1, राज्य कर,
झॉसी जोन झॉसी, अलीगढ जोन अलीगढ।

कृपया सूची में अंकित आपके जोन से सम्बन्धित प्रकरणों का अवलोकन करना चाहें, जो मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना से सम्बन्धित है तथा जिनका निस्तारण किये जाने हेतु प्रकरण मुख्यालय प्रेषित किया गया था, प्रकरणों का परीक्षण करने पर कालम संख्या–6 में अंकित आपत्तियॉ प्रकाश में आयी है :–

क्र० सं०	जोन का नाम	मृतक / व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु का दिनांक	आपत्ति
1	झॉसी	स्व0 श्री लाल सिंह	सर्वश्री मॉ सन्तोषी टेडर्स, जालौन	13-11-2025	प्रश्नगत प्रकरण में मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है। जो अपेक्षित है ।
2	झॉसी	स्व0 श्री पवन कुमार शिवहरे	सर्वश्री दिनेश एजेन्सी, बॉदा	20-10-2024	प्रश्नगत प्रकरण में आयुक्त महोदय द्वारा विलम्ब अवधि माफ़ करने हेतु स्पष्ट संस्तुति प्राप्त करने के निदेश दिये गये थे जो के अभी तक आप्राप्त है। जो अपेक्षित है ।
3	अलीगढ़	स्व श्री मनोज शर्मा	सर्वश्री शर्मा पावर साल्यूशन, अलीगढ़	27.08.2025	प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दुर्घटना दिनांक 27.08.2025 को हुई थी तथा पुलिस में दिनांक 08.11.2025 को जी0डी0 दर्ज करायी गयी है । प्रकरण में एफ0आई0आर0/पोस्टमार्टम/पंचनामा नही है । जवाहर लाल नेहरू मेडीकल कॉलेज, अलीगढ़ द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण की प्रति संलग्न किया गया है, कमेटी के द्वारा संस्तुति उपलब्ध न कराते हुए अपितु "अतः उक्त पोस्टमार्टम एवं पंचनामा रिपोर्ट के अभाव में दावे के साथ संलग्न जवाहर लाल नेहरु मेडीकल कॉलेज एण्ड हास्पीटल, ए०एम०यू०, अलीगढ़ के मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ़ कॉस ऑफ़ डेथ में अंकित मृत्यु के कारण 'एक्सीडेंट' एवं पुलिस सामान्या दैनिकी विवरण (जीडी) पर विचार करते हुए, उक्त दावे को मुख्यालय स्तर से निर्णय हेतु अग्रसारित किया जा रहा है।" समिति द्वारा स्पष्ट संस्तुति प्रेषित किया जाना अपेक्षित है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरणों में दावेदार से स्थिति स्पष्ट करते हुए अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित प्रकरण मुख्यालय प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण का ससमय निस्तारण किया जा सके।

उक्त पत्र आयुक्त महोदय के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(अशोक कुमार सिंह)
अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त :–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित–

1– संयुक्त आयुक्त(कार्य0), राज्य कर,बांदा, झांसी, अलीगढ ए/बी।
2– संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय कों विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

श्रीमती पूर्णिमा
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।
उपायुक्त (आई०टी०) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ
दिनांक 30-3-26

अपर आयुक्त(लेखा) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

to jc objection.doc